APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–28)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा केम्प कोर्ट गागेडा

श्रीमति घीसी पत्नि शिवराज जाट
निवासी– गागेडा

बनाम

श्रीमति मागी पुत्री मिश्री जाट
निवासी– गागेडा

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53 रा.टी. ए. प्रकरण संख्या– 46/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.05.2018	पत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट गागेडा पर पेश हुई, वादिया श्रीमति घीसीदेवी व उनके अधिवक्ता श्री ललित धनोपिया उपस्थित तथा प्रतिवादीगण अनुपस्थित । वकील वादी ने कथन किया गया कि मामला मात्र भूमि विभाजन का है आराजी मुतदाविया वादी व प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी की कब्जेकाश्त की आराजीयात है जिसमें वादिया का 1/3, प्रतिवादी नं.– 1 व 2 का 1/3, तथा प्रतिवादी नं. 3 व 5 का 1/3 हक हिस्सा निहित है और सभी खातेदारान उक्त हक हिस्से के दौरान काबिज काश्त चले आ रह है । उक्त आराजीयात सम्मिलित खाते में दर्ज होने से पक्षकारान के मध्य फसल काश्त करनें, फसल कटानें व लगान जमा करानें में काफी परेशानी रहती है इसलिये वादी उक्त आराजीयात का माफिक हिस्सा अच्छी से अच्छी व बूरी से बूरी भूमि का विभाजन करना चाहती है । अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर माफिक हक हिस्से के अनुसार भूमि का विभाजन किये जाने के आदेश फरमावें । इसकी विपरीत प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है और न ही उनके द्वारा वादी के वाद का कोई खण्डन किया है । ऐसी स्थिति में वादी के वाद की पृष्टि स्वतः ही हो जाती है । मैने वकील वादी को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्नानुसार रहा है । वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 मौजा गागेडा तहसील हुरडा के अनुसार आराजी नं.– 1829, 1830 किता 2 रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा भूमि मांगी पुत्री मिश्री रामा पिता घासी हिस्सा 1/3, घीसी पत्नि शिवराज जाट हिस्सा 1/3 , गुडडी पूजा पुत्रिया सॉवर (ना.बा.ब.बि.) माता इन्द्रा, इन्द्रा बेवा सॉवर हिस्सा 1/3 जाट सा देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है ।	

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

यहाँ वादिया का कथन है कि आराजी मुतदाविया सयुक्त खातेदारी की होने से फसल काश्त करनें, फसल काटनें, तथा लगान जमा करानें में काफी परेशानी आती है । इसलिये आराजीयात का माफिक हक हिस्सेनुसार अच्छी से अच्छी व बूरी से बूरी विभाजन कराना चाहती है । इसके विपरीत प्रतिवादीगण का कोई जवाब , कोई वाद का खण्डन नही । चूँकि आराजी मुतदाविया के वादिया खातेदार काश्तकार है और खातेदार को अपनी भूमि का विभाजन करानें का पूर्ण विधिक अधिकार होने से दावा वादी स्वीकार किये जानें योग्य है ।

::–निर्णय::–

दावा वादी प्राथमिक डिकी किया जाकर मौजा गागेडा तहसील हुरडा की आराजी नं.– 1829, 1830 किता 2 रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा भूमि के खातेदान काश्तकारान के मध्य उनके हक हिस्से के अनुसार अच्छी से अच्छी व बूरी से बूरी भूमि व लगान विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार हुरडा को निर्देश दिये जाते है कि वह आज ही भूमि व लगान का विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय लगान फाटनी प्रस्तुत करें । निर्णय आज 25.05.2018 को खुली लोक अदालत में सुनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.05.2018

तहसीलदार हुरडा के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

1– मांगी पुत्री मिश्री , रामा पिता घासी जाट साकिन देह के हिस्से में रहन एस.बी.आई. हुरडा हिस्सा रामा का –

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
गागेडा	1829/1	01 बीघा 16 बिस्वा	1.16
योग		01 बीघा 16 बिस्वा	1.16

2– घीसी पत्नि शिवराज जाट साकिन देह के हिस्से में –

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
गागेडा	1829/2	01 बीघा 16 बिस्वा	1.16
योग		01 बीघा 16 बिस्वा	1.16

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

3– गुडडी, पूजा पुत्रियॉ सॉवर ना.बा. संरक्षक माता इन्द्रा , इन्द्रा बेवा सॉवर जाट साकिन देह के हिस्से में रहन एस.बी.आई हुरडा हिस्सा इन्द्रा का –

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
गागेडा	1829/3	01 बीघा 16 बिस्वा	1.16
योग		01 बीघा 16 बिस्वा	1.16

4– निम्न आराजीयात शामिल में रहेगी ।

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
गागेडा	1829/4	00 बीघा 05 बिस्वा	
	1830	00 बीघा 06 बिस्वा	गे.मू.चाह
किता 2 योग		00 बीघा 11 बिस्वा	

उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया वक्त बहस वकील वादी ने कथन किया कि तहसीलदार हुरड़ा के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है वह मुताबिक निर्णय अनुसार तैयार किया गया है । जो स्वीकार फरमाया जावें ।

मैने भी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। तदनुसार तहसीलदार हुरड़ा से उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तथा इसी अनुरूप प्रकरण मे अंतिम डिक्री पर्चा तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है । तद्नुसार अन्तिम डिक्री पर्चा तैयार किया जावें पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 25.05.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट गागेडा पर सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner